दिनांक–19.07.2024 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ की गई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–19.07.2024 को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–12773 दिनांक–18.07.2024 के आलोक में राज्य के सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों 15 जिलों के प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–12772 दिनांक–17.07.2024 के आलोक में तथा 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की वर्त्तमान प्रगति की समीक्षा की गई।

विभिन्न बिन्दुओं के आलोक में की गई समीक्षा एवं समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् हैं–

1. **<u>बन्दोबस्त पदाधिकारियों का जिला स्तरीय योगदान</u>** : – समीक्षा में सर्वप्रथम नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों के योगदान की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अरवल, प0 चम्पारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, अररिया, दरभंगा एवं सिवान के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा अब तक योगदान नहीं किया गया है।

निदेशित किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक–09.07.2024 को जिन 20 बन्दोबस्त पदाधिकारियों की पदस्थापना की गई है और उनके विरमित होने के पश्चात यदि पारगमन अवधि समाप्त हो गई है तो उनके सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित किया जाए।

(अनुपालन–स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

2. **नवपदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान** : – दिनांक–03.07.2024 को राज्य एवं जिला स्तर पर नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नियोजन पत्र वितरण किए जाने एवं दिनांक–04.07.2024 से 11.07.2024 के मुख्य जिला स्तरीय योगदान की समीक्षा में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने एवं योगदान की समीक्षा में नियुक्ति पत्र प्रापत करने एवं योगदान करने सम्बन्धी कर्मियों की संख्या निम्नवत पाई गईः–

नवनियोजित कर्मियों का जिला स्तरीय योगदान			
पद का नाम	**कुल नियोजित कर्मी**	**नियोजन पत्र प्राप्त करने वाले कर्मियों की संख्या**	**दिनांक 24.07.204 तक योगदान समर्पित करने वाले कर्मियों की संख्या**
विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	353	309	258
विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	758	560	119
विशेष सर्वेक्षण अमीन	8035	7264	7077
विशेष सर्वेक्षण लिपिक	742	658	650
कुल	**9888**	**8791**	**8104**

उक्त के आलोक में पाया गया कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर योगदान देने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में अधिकांश पूर्व से नियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं। इनके कार्यरत अमीनों द्वारा त्याग–पत्र दिए जाने के पश्चात त्याग–पत्र की स्वीकृति नहीं होने से उनके द्वारा नवपदस्थापित जिलों में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर योगदान नहीं दिया जा सका है। प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर चयनित पूर्व में अनेक विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा पूर्व से किए जा कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया है, जिसक कारण विरमित करने में समस्या आ रही है। इस संबंध में 20 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया कि नवचयनित कानूनगो के त्याग–पत्र को वर्त्तमान में स्वीकृत कर नए जिलों में योगदान देने हेतु निदेश दिया जा सकता है और पूर्व के लंबित कार्यों को करने के लिए उन्हें पुनः पुराने जिलों में प्रतिनियुक्त करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशित किया गया कि पूर्व से कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो उच्चतर पद के लिए चयनित हुए हैं और उनके त्याग–पत्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जिला स्तर से अनुशंसा प्राप्त है, के त्याग–पत्र को सशर्त्त स्वीकृत किया जाए और उच्चतर पद पर नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान देने के उपरांत यदि पूर्व धारित पद का कार्य बचा हो तो उसे पूर्ण करने हेतु उन्हें बाद में R2R सॉफ्टवेयर अन्तर्गत पुनः Login ID की सुविधा दी जाए।

(अनुपालन–स्थापना शाखा/आई0 टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

3. **<u>जिला स्तरीय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में</u>** : – सभी जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि जिन कानूनगो द्वारा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उनकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नालंदा में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो को प्रशिक्षण में सर्वेक्षण से संबंधित दस्तावेज, प्रपत्र आदि दिखाये जा रहे हैं एवं गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

निदेशित किया गया कि सभी जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कक्षाओं का अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाए एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से प्रश्न पूछ कर यह सुनिश्चित किया जाए कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है अथवा नहीं। यह भी निदेशित किया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–12791 दिनांक–18.07.2024 के आलोक के प्रशिक्षण संबंधी आवंटन प्राप्त करने के लिए अविलंब खाता खोलने की कार्रवाई की जाए ताकि प्रशिक्षण में व्यय होने वाली राशि का यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन–सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

4. <u>शिविरों की स्थापना, संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि के सम्बन्ध में</u> : – सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–12771 दिनांक–17.07.2024 एवं पत्रांक–12772 दिनांक–17.07.2024 द्वारा शिविरों की स्थापना, शिविरों एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों के लिए क्रय किए जाने वाले उपस्कर की सूची एवं कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में आवश्यक निदेश दिए गए हैं। इस आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रत्येक शिविर में इंटरनेट की सुविधा, दैनिक साफ–सफाई इत्यादि के प्रतिमाह एक मुश्त राशि दिए जाने की आवश्यकता हे।

निदेशित किया गया कि प्रत्येक शिविर की स्थापना के लिए भवन अनुपलब्ध रहने की परिस्थिति निदेशानुसार अंचल स्तरीय आधुनिक अभिलेखागार के भूतल पर तत्काल शिरिव को स्थापित किया जाए एवं पत्रांक–12772 दिनांक–17.07.2024 के अनुरूप MRR के संसाधनों का उपभोग किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि प्रत्येक अंचल स्तरीय शिविर को निदेशालय स्तर से नेट सम्बन्धी एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति माह 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) प्रति शिविर के हिसाब से आवंटन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन– सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

5. <u>जिला स्तरीय उद्घोषणा, कर्मियों की टैगिंग, गाम–सभा इत्यादि के संबंध में</u> : – निदेशित किया गया कि निदेशालय के पत्रांक–12772 दिनांक–17.07.2024 के आलोक सभी नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की शिविरवार टैगिंग तथा जिला स्तरीय ग्रामवार उद्घोषणा प्रकाशित करने का कार्य 01 अगस्त–2024 तक पूर्ण कर लिया जाए। ग्राम–सभा के लिए प्रकाशित किए जाने वाले कैलेन्डर के बारे में सभी जिलों द्वारा बताया गया कि अभी तक ग्रामवार की जाने वाली ग्राम–सभा की तिथि निश्चित नहीं की गई है।

निदेशित किया गया कि जिला स्तर पर प्रशिक्षण समाप्त होने के तुरंत बाद ग्रामवार की जाने वाली ग्राम–सभा का कैलेन्डर निर्धारित कर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा जिला एवं अंचल स्तर पर ग्रामों गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक Communication Plan बनाने का सुझाव दिया गया ताकि क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में आम जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।

निदेशित किया गया कि प्रत्येक जिले द्वारा यथासंभव इस सुझाव के अनुरूप कार्य किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि रैयतों को स्वघोषणा एवं वंशावली अधिक से अधिक ऑनलाईन माध्यम से समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाए और इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाए। खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) को संधारित करने के लिए कार्य के अनुरूप समय–सीमा निश्चित रूप से निर्धारित की जाए तथा विगत सर्वे के खतियानों की ऑनलाईन स्कैन प्रति प्राप्त करने के सम्बन्ध में सभी अमीनों को अवगत कराया जाए। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को मोबाईल एप सर्वे ट्रेकर के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया और सर्वे ट्रेकर करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

6. <u>जिला स्तरीय कर्मियों की पदस्थापना के सम्बन्ध में</u> : – कुछ जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय में मात्र 01 मात्र कम्प्यूटर ऑपरेटर के रहने से कार्य निष्पादन में कठिनाई आ रही है। साथ ही शेखपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेखपुरा में एक भी कानूनगो के नहीं रहने के कारण कार्य निष्पादन में कठिनाई आ रही है, जबकि अरवल जिले द्वारा बताया गया कि कि अरवल में शिविर प्रभारियों की संख्या बहुत कम है। रोहतास, सिवान एवं कुछ अन्य जिलों द्वारा जिला बन्दोबस्त कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में बताया गया। रोहतास एवं गोपालगंज एवं पू0 चम्पारण के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला बन्दोबस्त कार्यालय में एक भी लिपिक पदस्थापित नहीं रहने के कारण कार्यालय संचालन में बाधा हो रही है, पूर्वी चम्पारण के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्वी चम्पारण के बन्दोबस्त कार्यालय में समाहरणालय संवर्ग से एक लिपिक को प्रतिनियुक्त किया गया है।

निदेशित किया गया कि सभी बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लिपिक के पदस्थापन की समीक्षा निदेशालय स्तर से कर ली जाए एवं प्रत्येक जिले में 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर की पदस्थापना सुनिश्चित कर सभी जिलों में पदस्थापित लिपिक की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जिले में पदस्थापित लिपिक की संख्या शून्य न हो। बन्दोबस्त कार्यालय के लिए आवश्यक स्थान संबंधित जिलों के समाहर्त्ता को जिलावार पत्र देने का निदेश दिया गया।

<u>20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा</u>

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों से नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण, पदस्थापन, संसाधन, टैगिं इत्यादि की समीक्षा उपरान्त 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त खेसरों के वर्गीकरण खेसरों के वर्गीकरण के आधार पर प्रगति निम्नवत पाई गई:–

2500 खेसरा तक विशेष् सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति											
क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	एल0पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अररिया	85	80	5	3	0	0	0	0	2	
2	बेगूसराय	294	274	20	7	2	1	6	2	1	
3	खगड़िया	79	77	2	2	0	0	0	0	0	
4	किशनगंज	284	193	91	0	61	4	11	14	1	
कुल		742	624	118	12	63	5	17	16	4	

2501 से 5000 खेसरा तक विशेष् सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति															
क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र - 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र - 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0 पी0 एम० लंबित	एल0 पी0 एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	32	10	22	1	0	0	7	1	0	12	0	1	
2	अरवल	88	18	70	1	3	11	16	4	6	20	9	0	
3	बांका	57	25	32	0	0	4	19	0	0	8	3	0	
4	बेगूसराय	67	13	54	7	10	0	18	3	0	8	6	0	
5	जमुई	30	11	19	खानापुरी कार्य चल रहा है।									
6	जहानाबाद	56	28	28	0	1	0	2	2	0	11	4	8	
7	कटिहार	34	33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
8	खगडिया	45	12	33	0	3	2	12	0	2	13	1	0	
9	किशनगंज	97	0	97	0	13	72	11	0	0	1	0	0	
10	लखीसराय	85	18	67	0	1	0	56	0	0	4	0	5	
11	मधेपुरा	18	1	17	0	0	0	8	3	0	4	2	0	
12	मुंगेर	33	31	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
13	नालंदा	102	93	9	0	0	0	0	0	0	0	3	4	
14	सहरसा	45	11	34	0	0	0	21	0	10	0	2	1	
15	शिवहर	25	19	6	0	0	1	2	0	0	3	0	0	
16	सीतामढी	106	24	82	0	8	0	49	2	0	18	4	1	
17	सुपौल	59	41	18	0	0	5	4	3	0	1	5	0	
18	प0 चम्पारण	63	17	46	0	0	4	12	5	3	6	16	0	
	कुल	**1042**	**405**	**637**	**9**	**39**	**99**	**238**	**23**	**21**	**111**	**55**	**20**	

5000 से अधिक खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र - 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0 पी0 एम० लंबित	एल0 पी0 एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	39	0	39	5	1	0	18	0	0	2	0	13	
2	अरवल	58	0	58	0	34	13	6	2	0	1	2	0	
3	बांका	48	1	47	0	14	19	6	0	0	3	1	0	
4	बेगूसराय	75	1	74	2	56	0	10	3	0	3	0	0	
5	जमुई	56	0	56	खानापुरी कार्य चल रहा है।									
6	जहानाबाद	25	2	23	0	6	0	11	4	0	1	0	1	
7	कटिहार	17	6	11	0	0	0	0	1	0	0	0		5 प्रारूप प्रकाश हेतु लंबित
8	खगडिया	32	0	32	0	15	0	12	2	0	4	0	0	
9	किशनगंज	73	0	73	0	36	36	1	0	0	0	0	0	
10	लखीसराय	59	0	59	6	28	0	26	0	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	35	0	35	0	31	0	4	0	0	0	0	0	
12	मुंगेर	8	1	7	0	3	0	2	0	0	2	0	0	
13	नालंदा	77	3	74	0	4	0	55	10	0	3	1	1	
14	पूर्णियाँ	13	0	13	0	0	4	0	3	3	2	1	0	
15	सहरसा	35	0	35	0	11	0	20	0	4	0	0	0	
16	शेखपुरा	60	32	28	0	0	0	14	0	0	8	6	0	
17	शिवहर	24	0	24	0	11	9	4	0	0	0	0	0	
18	सीतामढी	57	1	56	0	38	0	13	1	0	4	0	0	
19	सुपौल	111	8	103	0	46	38	7	3	0	7	2	0	
20	प० चम्पारण	66	0	66	0	32	20	8	1	3	1	1	0	
	कुल	968	55	913	13	366	139	217	30	10	41	14	15	

उक्त प्रगति के आलोक में 20 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को स्मारित कराया गया कि दिनांक–12.04.2024 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षात्मक बैठक में 15 जून तक प्रथम चरण अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य समाप्त करने का स्पष्ट निदेश दिया गया था, किन्तु अभी भी 2500 खेसरों से कम वाले 12 ग्रामों, 5000 खेसरा तक वाले 39 ग्रामों एवं 5000 से अधिक खेसरा वाले 366 ग्रामों में खानापुरी का लंबित रहना अत्यंत खेदजनक है। सभी जिलों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि वर्त्तमान की नई कार्य–योजना के अनुरूप प्रत्येक अंचल में शिविर स्थापित कर जिले के प्रत्येक अंचल में शिविर को अंचल स्तरीय शिविर से सम्बद्ध किया जाना है और इस परिस्थिति में यदि प्रथम चरण के ग्रामों खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन का कार्य लंबित रहात है तो द्वितीय चरण का कार्य प्रभावित होगा।

20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रगति के सम्बन्ध में जिलों द्वारा निम्नांकित तथ्य स्पष्ट किए गए:–

(i) 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप प्रकाशित के लिए लंबित ग्रामों में सर्वाधिक किशनगंज में 118 के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में प्रथम चरण के सभी 460 राजस्व ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर खानापुरी का कार्य किए जाने के कारण 2500 खेसरों तक वाले सभी ग्रामों के राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया जा सका है। वर्त्तमान में प्रथम चरण के लगभग 50 ग्रामों में खानापुरी का कार्य चल रहा है, जिसमें 4–5 ग्रामों जिनमें खेसरों की संख्या 10000 के आसपास है, को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में 15 अगस्त, 2024 के पूर्व खानापुरी पूर्ण हो जाएगी एवं 2500 खेसरों तक वाले सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

(ii) नालंदा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिले में प्रथम चरण के सभी ग्रामों में खानापुरी पूर्ण हो गई है। बेगूसराय जिले में कुछ विशिष्ट स्वामित्व सम्बन्धी समस्याओं और खगड़िया में विभिन्न बिन्दुओं पर मांगे गए मार्गदर्शन के 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन लंबित रहने के बारे में बताया गया।

(iii) जिन जिलों में खानापुरी कार्य लंबित पाया गया उन सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वैसे ग्राम जहाँ खेसरों की संख्या 10000 से अधिक है, को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में 15 अगस्त के पूर्व खानापुरी पूर्ण कर ली जाएगी।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रगति एवं जिला स्तरीय प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) 15 अगस्त, 2024 के पूर्व कुछ बहुत बड़े ग्रामों (10000 खेसरों से अधिक) को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में खानापुरी पूर्ण कर ली जाए।

(ii) जिन ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है, उनकी समीक्षा कर नियमावली द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन उपरान्त की जाने वाली सुनवाई के कार्य को पूर्ण किया जाए।

(iii) नियमित रूप से विशेष सर्वेक्षण अमीन की डायरी, उपस्थिति एवं शिविर स्तर पर पारित किए जाने वाले आदेश की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निदेश दिए जाएँ।

(iv) प्रपत्र–6 की इन्ट्री से सम्बन्धित लंबित कार्यों को कार्यालय अवधि के उपरांत कार्य करवाकर यथाशीघ्र समाप्त किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

31/7/24

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......पटना, दिनांकः ...31.07.24...

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......**पटना, दिनांकः** ...31.07.24...

प्रतिलिपिः सभी समाहर्त्ता, बिहार / सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......**पटना, दिनांकः** ...31.07.24...

प्रतिलिपिः सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बिहार / सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......**पटना, दिनांकः** ...31.07.24...

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......**पटना, दिनांकः** ...31.07.24...

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......पटना, दिनांकः ...31.07.24...

प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......पटना, दिनांक:...31.07.24...

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/24

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......13019......**पटना, दिनांक:**...31.07.24...

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, 31/7/24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप